UPME010032032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित–अनुपम कुमार, एच0जे0एस0

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–890/2026

अंशुल पुत्र योगेन्द्र, निवासी–मुबारिकपुर रोड, मवाना, थाना–मवाना, जिला–मेरठ।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–69/2026
अं0धारा–109(1),352,351(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना–मवाना, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री संजय कुमार कश्यप, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांक–19.03.2026

1– प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त अंशुल की ओर से मुकदमा अपराध सं0–69/2026, अं0धारा–109(1),352,351(2),3(5) बी0एन0एस0, थाना–मवाना, जनपद–मेरठ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 17.02.2026 को समय करीब रात्रि 09.00 बजे तीन–चार लड़के मौहल्ला तिहाई में आये और वादी व वहां खड़े कुछ लोगों के उपर जान से मारने की नीयत से फायर करके चले गये, जिनमें से दो व्यक्तियों की पहचान आदित्य तोमर व अंशुल के रूप में की गयी।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं

किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। उसके कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना का जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी है। उक्त कारणों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह—अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7— प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अन्य सह—अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व उसके मौहल्ले के कुछ अन्य व्यक्तियों के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किये जाने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आयी है। मौके से एक अदद खोखा कारतूस की बरामदगी हुई है। दौरान विवेचना सह—अभियुक्त आदित्य उर्फ आर्यन व प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सह—अभियुक्त आदित्य उर्फ आर्यन के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर की बरामदगी दर्शायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8— अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण—दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंशुल का मुकदमा अपराध सं0—69/2026, अं0धारा—109(1),352,351(2),3(5) बी0एन0एस0, थाना—मवाना, जनपद—मेरठ में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या—890/2026 निम्न शर्तो पर स्वीकार किया जाता है :—

1. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल किया जाएगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

5– इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 19.03.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-1902

Saurabh (P.A.)

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.03.20 11:27:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court